

कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण) जिला खंडवा म०प्र०

ईमेल-सामाजिक न्याय-pswkhd@mp.nic.in दूरभा T:-0733-2223229

क्रमांक/स्था/2025-26/ 110

खंडवा दिनांक 13/05/2025

प्रति,

कलेक्टर महोदय (N.I.C) ,

जिला खंडवा

विषय:-सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला खंडवा अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों हेतु रिक्त पदों की पूर्ति वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से करने बाबत विज्ञापन प्रकाशन विषयक।
सन्दर्भ:-आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय म०प्र० भोपाल के पत्र क्र. 1678/स्था.1/233/2024 दिनांक 18 सितम्बर 2024

-0-0-

आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय म०प्र० भोपाल के संदर्भित पत्र दिनांक 18 सितम्बर 2024 द्वारा कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला खंडवा की कार्यालयीन स्थापना में तृतीय श्रेणी लिपिकीय वर्गीय सहायक ग्रेड-3 का सीधी भर्ती के नियमित वेतनमान अंतर्गत रिक्त पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित कर पदपूर्ति वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

अतः दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदपूर्ति वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से किये जाने हेतु विज्ञापन का प्ररूप संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि, कृपया उक्त विज्ञापन रोजगार और निर्माण, रोजगार समाचार एवं प्रदेश के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

संलग्न:- विज्ञापन प्ररूप

कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण) जिला खंडवा म०प्र०

ईमेल-सामाजिक न्याय-pswkhhd@mp.nic.in दूरभाष-0733-2223229

क्रमांक/स्था/2025/109

रेशोचिल

खंडवा, दिनांक 9/07/2025

विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजन के लिए
वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से की जाने वाली भर्ती हेतु विज्ञापन

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-07-19/2019/आ. प्र. /एक भोपाल. दिनांक 14/02/2024 एवं दिनांक 04/01/2024 के अनुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय म०प्र० भोपाल के पत्र क्र. 1678/स्था.1/233/2024 दिनांक 18 सितम्बर 2024 के द्वारा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला खंडवा की कार्यालयीन स्थापना में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित सहायक ग्रेड-3 के (नियमित) एक पद की पूर्ति अनारक्षित (UR) के उम्मीदवार से वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से की जाना है। आवेदन हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हता के प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित आवेदन पत्र विहित प्रारूप में दिनांक 02/07/2025 तक कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला खंडवा 450001 के नाम से डाक द्वारा प्रेषित करें या कार्यालयीन समय में आवक शाखा में स्वीकार किये जायेंगे। डाक के माध्यम से विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों के लिए कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण खंडवा का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, रिक्त पद का विवरण वेतनमान, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हतायें एवं वॉक-इन्टरव्यू के लिये नियत दिनांक एवं समय की जानकारी निम्नानुसार है:-

श्रेणी/पदनाम	वेतनमान	दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रिक्त पद	शैक्षणिक अर्हता	वॉक-इन-इन्टरव्यू हेतु नियत दिनांक एवं समय
1	2	3	4	5
तृतीय श्रेणीसहायक ग्रेड-3	लेवल 4 19500-62000 MPPLR	दृष्टिबाधित (अनारक्षित वर्ग)	01	1/ मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित (10+2) प्रणाली से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा पूर्वान्ह से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । 2/ मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । 3/ कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा(CPCT) प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) अभ्यर्थी को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक एवं हिन्दी टंकण में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।
				दिनांक 17/06/2025 वार मंगलवार को समय 11:00 बजे पूर्वान्ह स्थान कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला खंडवा

अन्य शर्तें:-

/2//

1. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
2. समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेज सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। अस्पष्ट व अपठनीय दस्तावेज मान्य नहीं होंगे।
3. दिनांक 01/03/2024 की स्थिति में आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार होगी।
4. 40 प्रतिशत या अधिक दृष्टिबाधित दिव्यांगताधारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा। यूडीआईडी कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदक को विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व कर लिया होगा उसे उक्त पद हेतु अयोग्य माना जायेगा।
6. दिनांक 26.01.2000 के पश्चात् शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह करने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
7. जिस आवेदक को 02 से अधिक संतान है उनमें से एक का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो तक ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
8. आवेदक का मध्यप्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीजन होना अनिवार्य है।
9. शासकीय संस्था/निगम/मण्डल में कार्यरत आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
10. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी 3-15/2012/1/3 भोपाल, दिनांक 24/11/2012 अनुसार चयनित अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जायेगा, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी एवं प्रतीक्षा सूची अनुसार वरीयता क्रम में आने वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।
11. आवेदक को वॉक-इन-इन्टरव्यू के समय दस्तावेज/प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना/दिखाना अनिवार्य है। आवेदन पत्रों के समस्त कालमों की पूर्ति तथा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की स्पष्ट प्रति प्रस्तुत करना होगा।
12. उम्मीदवार का चयन उनके द्वारा प्रस्तुत अर्हकारी/शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में प्राप्तांको के आधार पर तथा अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर मैरिट सूची तैयार की जावेगी।
13. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार तीन वर्ष की परिवीक्षा पर प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा।
14. आवेदक की ई-मेल आई.डी.....मोबाइल नम्बर..... देना अनिवार्य है।
15. निर्धारित योग्यता से कम योग्यता, मापदण्ड की शर्तें पूर्ण न करने अथवा अपूर्ण आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। जिसके संबंध में आवेदक को अलग से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
16. आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण/असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये जाते हैं तो उसी आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये वगैर आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

/ / 3 / /

17. आवेदक का चयन वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से किया जावेगा, जिसकी सूचना उनके आवेदन पत्र में दर्शाये गये वर्तमान पते पर एवं ई-मेल के माध्यम से दी जावेगी ।
18. भर्ती प्रक्रिया से संबंधित शर्तें/नियमों में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु आवेदन का प्रारूप

प्रति,

उपसंचालक,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
जिला खंडवा 450001

नवीनतम रंगीन
फोटो

- 1 आवेदक का नाम
- 2 आवेदक के पिता/पति का नाम
- 3 दिनांक 01/03/2024 की स्थिति जन्म तिथि (10वीं
के प्रमाण पत्र के आधार पर)
- 4 लिंग (पुरुष/महिला)
- 5 जाति (सामान्य/अजा/अजजा/अपिव)
- 6 वर्तमान पता
- 7 स्थायी पता
- 8 मोबाईल नम्बर
- 9 ई-मेल आई.डी.
- 10 दिव्यांगता का प्रतिशत (दृष्टिबाधित और कम
दृष्टिबाधित) (जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण
पत्र संलग्न करें)
- 11 रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं
रोजगार कार्यालय का नाम
वैद्यता दिनांक
- 12 वैवाहिक स्थिति (विवाहित या अविवाहित)
- 13 वैवाहिक स्थिति में 26/01/2001 की स्थिति के
पश्चात जीवित संतानों की संख्या
(यदि एक से अधिक है तो अंतिम संतान का
जन्मदिनांक)

//2//

14 शैक्षणिक अर्हता (कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड की जानकारी सहित) :-

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	प्राप्तांक	श्रेणी
1					
2					
3					
4					
5					

- 15 यदि आवेदक शासकीय/संस्था/निगम/मण्डल में कार्यरत है तो
उसका नाम एवं पता
अ) वर्तमान में धारित पदनाम
ब) वर्तमान पद का वेतनमान जिस पर कार्यरत है।
(छठवां एवं सातवां जो भी लागू हो)
- 16 उपरोक्त के अतिरिक्त विशेष योग्यता/अनुभव यदि हो तो
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- 17 उपरोक्त विवरण के संबंध में सभी प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां स्वप्रमाणित प्रस्तुत करें ।

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित जानकारी मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाई जाने पर आवेदन निरस्त माना जावेगा ।

स्थान :

हस्ताक्षर.....

दिनांक :

आवेदक का नाम.....

एवं पता.....